मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रॉंक : 1051 /सम्पति/2021–22 दिनांक : 29/7/21

प्रभारी अधिकारी विज्ञापन,

शासन द्वारा गैर आवासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के प्रचार–प्रसार के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 378/9–आ–1 सम्पत्तियॉं/आ0ब0/2001 दिनांक 20 जून, 2001 (नीलामी गाईड लाईन्स) के पैरा सं0 5 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि :–

5. नीलामी सूचना का प्रकाशन–

सम्पत्ति की नीलामी के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार व प्रसार किया जायेगा जिसमें नीलामी का स्थान, तिथि एवम् समय उल्लिखित किया जाये तथा आरक्षित मूल्य के अनुसार निम्न प्रक्रिया प्रकाशन हेतु अपनाई जाय।

क्र0 सं0	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	अखबारों में विज्ञापन	चरणों की संख्या
1.	रूपये 50.00 लाख तक	दो राज्य स्तरीय	एक बार
2.	रूपये 50.00 लाख से अधिक परन्तु रूपये 200.00 लाख तक	एक राष्ट्रीय एवम् एक राज्य स्तरीय	तदैव
3.	रूपये 200.00 से अधिक	दो राष्ट्रीय तथा दो राज्य स्तरीय	कुल 6 विज्ञापन

मितव्ययता की दृष्टि से अखबारों में अलग–अलग तिथि में दो–दो दिन के अन्तराल से विज्ञापन सूचना निकाली जाय तथा कम–से कम दो बार अवश्य निकाला जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त शासनादेश के क्रम में प्रचार–प्रसार कर e-Auction कराये जाने हेतु आदेश दिनांकित 16–07–2021 पारित है। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पत्तियों के विक्रय की समीक्षा बैठक में आवासीय एवं गैर आवासीय सम्पत्तियों का प्रचार प्रसार करने एवं शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने के निर्देश दिये गये है। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुपालन में आवासीय एवं गैर आवासीय सम्पत्तियों का e-Auction कराये जाने हेतु विज्ञापन तैयार कराया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया संलग्न विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर सम्बन्धित समचार पत्रों की कटिंग की एक–एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. [illegible]
3. सहायक प्रोग्रामर को e-auction की सूचना प्राधिकरण की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

29/7/21

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,

ARENGEMENT